FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम ....

राई वगैरा बनाम देवाराम वगैरा

किस्म मुकदमा राजस्व वाद 88, 188 Rt Act नं. 203/19 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.12.19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम जाखड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88, 188 Rt Act राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 24/12/19 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
24/12/19	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री रिड़माराम सियाग द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या-3 की ओर से प्रतिनिधि उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी अवकाश में पधारे हुए हैं अतः मिसल ईल्तवा होकर आगामी दिनांक 11/02/2020 को पेश हो।	[signature] (प्र.सं.-3)
11/02/2020	वादी व प्रतिवादी संख्या-1 व 2 के अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया आईन्दा पेश करना चाहते हैं अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 21/04/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:24:11 IST
Reason: SelfAttested

21/04/2020 पत्रावली आज पेश हुई। कोविड-2019 के चलते कोई नहीं लिया गया। पीठासीन अधिकारी डिग्गी कार्य में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 14/07/2020 को पेश हो।

14/07/2020 पक्षकारान मय वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा इकबाली जवाबदावा पेश कर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के सम्बन्ध में सहमति जाहिर की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील की बहस सुनी गई, पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिग्री पर्चा जारी होकर पत्रावली मिसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

[signature]
14.7.2020
सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

लय उप

वादीगण
1. राई देवी पुत्री पीराराम
2. दौली देवी पुत्री पीरा
3. रूपां देवी पुत्री
निवासी
बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:24:11 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बायतु

(पीठासीन अधिकारी विवेक व्यास R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या–203 / 2019

वादीनीगण

1. राई देवी पुत्री पीराराम
2. दौली देवी पुत्री पीराराम
3. रूपों देवी पुत्री पीराराम जाति जाट निवासी रामपुरा, बाटाडू तहसील बायतु जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. देवाराम पुत्र पीराराम
2. हीरों पत्नी पीराराम जाति जाट निवासी रामपुरा, बाटाडू तहसील बायतु जिला बाड़मेर
3. शाखा प्रबंधक एसबीआई बायतु

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :– 1. श्री खेताराम जाखड़ वकील वादीगण
2. श्री रिणछारा सियाग वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 2

–: निर्णय :– दिनांक 14/7/2020

वादीनीगण ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीनीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की संयुक्त पैतृक कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि मौजा रामपुरा पटवार मण्डल बाटाडू तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 1608, 1609 रकबा क्रमशः 00.16, 162.05 बीघा में आई हुई है। वादीनीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 एक ही पूर्वज पीराराम के वंशज है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीनीगण के पिता के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेन्ट के पूर्व वादीनीगण के पिता के नाम थी व सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त भूमि पर वादीनीगण व प्रतिवादीगण 1 से 2 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त तथा वादीनीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में वक्त सेटलमेंट पर्चा लगान प्राप्त किया गया था। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीनीगण की पैतृक भूमि है और वादीनीगण अपने पैतृक भूमि में हिन्दू उतराधिकारी है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीनीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है तथा वादीनीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाड़ा कर काबिज है। क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरूश के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादीनीगण सहखातेदार घोषित करवाने की अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

वादीनीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से इकबाली जवाबदावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 औपचारिक पक्षकार बनाये गये है। जिनका सम्मन तामिल शुदा प्राप्त।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का इकबाली जवाब शामिल पत्रावली ... वादीनीगण को सुना गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:24:11 IST
Reason: SelfAttested

वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीनीगण के पिता के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेन्ट के से वादीनीगण के पिता की थी तथा वादीनीगण विधिक वारिसान् है तथा वादीनीगण वक्त सेटलमेंट से अपने पिता के साथ ही रहती थी जो पर्चा लगान उसके द्वारा प्राप्त करना साबित है एवं हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीनीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में वादीनीगण सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीनीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा रामपुरा पटवार मण्डल बाटाडू तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 1608, 1609 रकबा क्रमशः 00.16, 162.05 बीघा में वादीनीगण को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि पूर्व की भांती संबंधित बैंक में रहन रहेगी। निर्णय अनुसार डिकी पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 14/7/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14.7.2020

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

(विवेक व्यास)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी, बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:24:11 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.

वादीनीगण

1. राई देवी पुत्री पीराराम
2. दौली देवी पुत्री पीराराम
3. रूपों देवी पुत्री पीराराम जाति जाट निवासी रामपुरा, बाटाडू तहसील बायतु जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. देवाराम पुत्र पीराराम
2. हीरों पत्नी पीराराम जाति जाट निवासी रामपुरा, बाटाडू तहसील बायतु जिला बाड़मेर
3. शाखा प्रबंधक एसबीआई बायतु

दावा बाबत 88, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या–203 / 2019.

निर्णय दिनांक :– 14/7/2020

वादी की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 14/7/2020 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) विवेक व्यास, सहायक कलक्टर, बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा रामपुरा पटवार मण्डल बाटाडू तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 1608, 1609 रकबा क्रमशः 00.16, 162.05 बीघा में वादीनीगण को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि पूर्व की भांती संबंधित बैंक में रहन रहेगी। तहसीलदार बायतु निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 14/7/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

विवेक व्यास 14.7.2020

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

–sd–
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:24:11 IST
Reason: SelfAttested